

विचार बिन्दु

कृत्रिम सुख की बजाये, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। –अब्दुल कलाम

एस.आई.आर. पर रार, आर या पार

आजकल बिहार की मतदाता सूचियों का एस आई आर (विशेष गहन पुनरीक्षण यानि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) चल रहा है। यह पूरे देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर सभी राज्यों के लिए भी किया जाएगा । अत: देशवासियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह क्या है और इसका क्या प्रभाव होगा?

चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर, मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे मृत, स्थाई रूप से पलायन करने वालों और अयोग्य लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाते हैं। इसमें, पूरी मतदाता सूची नई बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन प्रपत्र भरकर बी एल ओ के पास जमा कराना होता है। बी एल ओ द्वारा इन सबको अपलोड किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार हर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होगा जो भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर है। जिस तरह से धरातल पर बिहार में यह कार्य चल रहा है, उसे देखकर, सभी विपक्षी दल एस आई आर को केवल लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया बता रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूचियां का प्रकाशन 1अगस्त 2025 को कर दिया है। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूचियों में कुल 7.89 करोड़ नाम अंकित थे जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में कुल 7.24 करोड़ नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए मतदाता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

प्रश्न यह नहीं है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वे किस दल के हैं, अपितु यह कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार है या नहीं? यदि कोई भी कार्यवाही उन्हें मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है तो यह बहुत गंभीर बात है। यदि वास्तव में इसके कारण लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित होते हैं तो इसे रोकने की आवश्यकता है।

हम एस आई आर की प्रक्रिया को थोड़ा सिलसिले वार समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्राप्त है, सामान्यतया किसी भी राज्य में या क्षेत्र में वयस्क लोगों की संख्या वहां के मतदाता सूचियों में अंकित संख्या के बराबर होनी चाहिए। देश के अनेक राज्यों में मतदाताओं की संख्या, उस राज्य की अनुमानित वयस्क जनसंख्या से अधिक है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 102%, कर्नाटका में 108%, तेलंगाना में 116%, ओडिशा में 105% और पश्चिम बंगाल में यह 101% है। इनकी तुलना में बिहार में यह 97% है।

इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार यह होता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम एक स्थान पर मतदाता सूची में अंकित है, वह किसी कारणवश दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो मतदाता सूचियां के पुनरीक्षण के समय उसका नाम वहां भी जुड़ जाता है। इस प्रकार उसका नाम दो स्थान पर हो जाता है। व वह यदि पुराने स्थान से नाम कटवाने का प्रार्थना पत्र देता है तो भी उसका नाम नहीं कटता है। मेरा स्वयं का जब 1995 में जयपुर से दूरगुरुर स्थानांतरण हुआ तो जयपुर में अपना नाम कटवाने के लिए, जिम्मेदार नागरिक की तरह आवेदन किया, किंतु इसकी कोई पुछ्छा सूचना मुझे नहीं मिली। उसके बाद दूरगुरुर में कलेक्टर के पद का भार ग्रहण करने के बाद मैंने वहां की मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया और वहां अंकित भी हो गया। वहां मैंने मतदान भी किया। इसके बाद जब मैं जयपुर वापस आया और यहां नाम जुड़वाने का प्रयास किया तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम तो यहां की मतदाता सूची में से काटा ही नहीं गया था। इस प्रकार लगभग एक वर्ष का कम मेरा नाम दो स्थानों पर अंकित रहा। जब यह स्थिति एक आईएसएस अधिकारी के साथ हो सकती है तो पता नहीं कितने अनगिनत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होगा। नेजस्वी यादव को इसी बात पर तो नोटिस दिया जा रहा है।

अब हम जरा बिहार की ही बात कर लें। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूची में यह संख्या 7.89 करोड़ थी जबकि अनुमानित वयस्क जनसंख्या बिहार में 8.16 करोड़ थी। जब इस समय राष्ट्रपति का प्रकाशन एक अगस्त 2025 को हुआ है तो अनुमानित वयस्क जनसंख्या 8.18 करोड़ की तुलना में निर्वाचकों की संख्या 7.24 करोड़ है जो कि कुल वयस्क जनसंख्या का 88% है। स्पष्ट है कि बिहार की वयस्क जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं की संख्या 94 लाख कम हो गई है।

यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में पंविब है। वहां पर उसकी सुनवाई भी चल रही है। न्यायालय ने कहा है कि एस आर आर की प्रक्रिया, सभी योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए होनी चाहिए न कि लोगों के नाम काटने के लिए। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग धरातल पर काम कर रहा है, और इसके कई सबूत वीडियो और रिपोर्ट के द्वारा मीडिया में आए हैं, उससे तो यह लगता है कि निर्वाचन आयोग केवल मतदाताओं के नाम काटने के लिए यह काम कर रहा है। 24 जून, 2025 की मतदाता सूचियां में से, ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में 65 लाख लोगों के नाम कम हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। किसी मतदाता का नाम विदेशी नागरिक होने के आधार भी पर नहीं काटा गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से 22 लाख मृतक हैं, 36 लाख ऐसे हैं जो स्थाई रूप से दूसरे स्थान पर चले गए या जिनकी कोई जानकारी नहीं है एवं 7 लाख ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थान में अंकित हैं। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने से पूर्व उसकी सुनवाई करना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी काम इस बार नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग यह कह रहा है कि जिन लोगों के नाम अंकित नहीं हैं, वे अपनी आपत्ति 31 अगस्त तक दे सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जिन 7.24 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में उपलब्ध हैं, उनमें से भी अनेक ऐसे हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे एवं इसके कारण उनके भी नाम कट जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की संभावित संख्या कुछ भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार सभी को जोड़कर लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्तियों के नाम बिहार की मतदाता सूचियां से काट दिए जाने की संभावना है। ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के ठीक विपरीत है जिसके अनुसार लक्ष्म समावेश का होना चाहिए न कि अधिकाधिक निष्कासन का।

जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, उनमें से भी लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है। एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 40 से पचास हजार मतदाताओं के नाम के आगे “not recommended” लिखा है।

प्रश्न यह भी है कि जिन व्यक्तियों के नाम प्रारंभ से मतदाता सूचियों में रहे हैं, वे सभी मताधिकार का उपयोग करते रहे हैं। यदि ये सब अवैध थे तो क्या इनके आधार पर चुनी गई केंद्र और राज्य सरकारें अवैध और असंवैधानिक घोषित की जाएंगी? अब, एस आई आर के नाम पर नागरिकों से अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहना अथवा उसकी आड़ में दस्तावेज मांगना किसी भी रूप में औचित्य पूर्ण नहीं लगता है। वैसे भी जिन दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है, उनसे कैसे नागरिकता सिद्ध होती है, यह चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है, उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाता है। मजे की बात यह है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। इसी प्रकार लाखों, करोड़ों लोग जो सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी में थे या हैं उनसे भी नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं मांगा गया। सबके द्वारा केवल इस बारे में स्व-घोषणा की गई कि वे भारतीय हैं, और उसी आधार पर उन्हें भारतीय मान लिया गया।

‘आधार’ को भी 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है जबकि अब लगभग सभी सरकारी कार्यों के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कारण निर्वाचन आयोग द्वारा यह बताया जा रहा है कि कई लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं। चुनाव आयोग ने यह किस प्रकार मान लिया कि अब जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा चाहे जा रहे हैं, वे उसी तरह फर्जी नहीं बनवाए जा सकते हैं? जिस देश में डिग्रियां तक विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी बनाई जा रही हों, वहां जन्म प्रमाण पत्र (स्वयम का या माता-पिता का) फर्जी बनाने में क्या बड़ी बात है? यदि ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग की सारी प्रक्रिया का अर्थ ही क्या रह जाएगा?

निर्वाचन आयोग यह तर्क दे सकता है कि किसी को आपत्ति होने पर वह प्रमाण सहित अपील, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सामाजिक संगठनों को यह कार्य करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि निर्वाचन आयोग ने जिन व्यक्तियों के नाम काट दिए हैं, उनकी श्रेणी वार सूची सावजनिक नहीं की गई है। अत: उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सकता है। पुरानी और नई सूचियों का मिलान करके भी ऐसी जानकारी निकालना लगभग असंभव है, क्योंकि बिहार में बूथों की संख्या 73000 से बढ़ा कर 92000 कर दी गई है।

यदि वास्तव में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और किसी वर्ग विशेष को मतदान अधिकार से वंचित करने का उद्देश्य नहीं है, तो फिर निर्वाचन आयोग को उन सभी लोगों की सूची जारी करनी चाहिए जिनके नाम जून, 2025 की मतदाता सूची में से हटा दिए गए हैं। ऐसा न करके, निर्वाचन आयोग ने अनावश्यक आशंकाओं को जन्म दिया है।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसका तो यही अर्थ होगा कि वयस्क होने के बाद भी वे भारत के किसी भी स्थान पर मत देने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या किसी भी चुनाव में जीत हार के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। सामान्यतया, हार-जीत में अंतर 2-3% का होता है। 10% से अधिक मतदाताओं के नाम कम होने से चुनाव का फैसला पूरी तरह उलट सकता है।

इतनी सारी आशंकाओं को देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने संसद में इस पर चर्चा करने के लिए एवं सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। इस बारे में चुनाव आयोग ने यदि स्वयं ने निर्णय नहीं लिया एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी एस आई आर की इस प्रक्रिया को नहीं रोका, तो देश में लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका हो जाएगी। देश को इस समय निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है, जहां एस आई आर पर लड़ाई आर पार की होने वाली है। फिलहाल, सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय में 12-13 अगस्त, 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी है।

—**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवानत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



मदन राठौड़, भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष

भारत ने बीते दो दशकों में आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि सता में कौन था। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार की नरम, दुलमुल और दुष्टिकरण की नीति ने देश को बार-बार लहलुहान किया। मुंबई का 26/11 हमला जिसमें 166 निर्दोष नागरिक मारे गए, 2005 के दिल्ली धमाकों में 62 लोग मारे गए, 2008 में जयपुर में 63 और अहमदाबाद में 56 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, उन मासूमों की कुर्बानी की कहानियाँ हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे उस वक्त उस जगह पर थे।

और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि ऐसी कितनी ही अनगिनत आतंकी घटनाएँ आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से को लहलुहान करती रहती थीं, जिनसे हर भारतीय के मन में डर और असुरक्षा का भाव गहराता चला गया। यूपीए के दौर में पूरे देश के नागरिकों के मन में हर वक्त यह डर बैठा रहता था कि न जाने कब और कहाँ धमाका हो जाए, कितने निर्दोष मर जाएँ।

सबसे शर्मनाक और दुखद पहलू यह था कि उस समय बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंसू बहाए, लेकिन क्या उन्होंने कभी दिल्ली, मुंबई, जयपुर या अहमदाबाद की सड़कों पर मारे गए निर्दोष नागरिकों के लिए आंसू बहाए? क्या कभी उन सैकड़ों घरों के जउजने का दर्द महसूस किया? यही यूपीए की नीति का असली चेहरा था – आतंकवादियों के लिए सहानुभूति और आम भारतीयों के जीवन के प्रति बेरुखी, जिसने पूरे देश का मनोबल गिराया और पाकिस्तान जैसे आतंक के प्रायोजक देश का हौसला बढ़ाया।

आज सोचिए, अगर मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद के उन भीषण हमलों के बाद उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाही की गई होती, तो शायद पाकिस्तान को उसी समय सबक

मिल गया होता और आतंकवाद की कमर टूट जाती। लेकिन सत्ता में रही कांग्रेस की नीति हमेशा आतंकवादियों के प्रति नरम रही, पाकिस्तान प्रेम इनके भीतर गहराई तक बैठा रहा, और इसी कारण देश बार-बार लहलुहान हुआ।

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति ही बदल दी गई। पहले हमला, फिर जवाब की बजाय घर में घुसकर जवाब देने की नीति आई। उरी हमले के बाद 2016 में सजिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, पुलवामा हमले के बाद 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक कर पाकिस्तान की धरती पर जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों को नष्ट किया गया, और हाल ही में 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नौ कैपों को मिट्टी में मिला दिया गया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया। आज पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहा है कि हमें मारा गया, लेकिन इधर भारत में कुछ लोग, कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन सिंदूर की बारिकियां छूछ रहे हैं, हमारे कितने विमान गिरे? कितना नुकसान हुआ?

और जब भी भारत मजबूती से जवाब देता है, तभी कांग्रेस के नेता

राष्ट्रविरोधी बयानों की झड़ी लगाकर देश की आवाज को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सेना के साहस पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। यही कांग्रेस का चाल, चलन और चरित्र हमेशा से रहा है आतंकवादियों के लिए नरम दिल, पाकिस्तान के लिए सहानुभूति और भारत के सुरक्षा बलों पर सवाल। यूपीए के समय गुड मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद जिनके हाथ में थे, उनकी नीति कैसी रही होगी, यह उनके हाल के बयानों से

जवाब देता है, तभी कांग्रेस के नेता राष्ट्रविरोधी बयानों की झड़ी लगाकर देश की आवाज को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सेना के साहस पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। यही कांग्रेस का चाल, चलन और चरित्र हमेशा से रहा है आतंकवादियों के लिए नरम दिल, पाकिस्तान के लिए सहानुभूति और भारत के सुरक्षा बलों पर सवाल। यूपीए के समय गुड मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद जिनके हाथ में थे, उनकी नीति कैसी रही होगी, यह उनके हाल के बयानों से

मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव परवान पर

मेड़ता सिटी, (निर्स)। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव परवान पर है। मीरा जयंती महोत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, सचिव रवि प्रकाश कमेडिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बिड़ला सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस दौरान विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

मंदिर में मीरा बाई और ठाकुरजी की रजत रेवाड़ी के समक्ष विभिन्न समाज भजन मंडलियों द्वारा लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा है। मीरा स्मारक राव दुदागढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार रात्रि में श्रीकिशन देव छतरी महंत हरिनायणन दादू पंथी के सानिध्य में मीरा स्मारक में भक्ति संंध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गी ऋषि संत प्रकाशदास महाराज ने भजनों का गायन किया। मीडिया प्रभारी सुनील पुरी ने बताया कि इस दौरान संत प्रकाशदासजी ने गुरु भजनों के साथ भजन संंध्या शुरू की जिसमें



मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव में संतप्रकाशदास ने भजनों की प्रस्तुति दी।

पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, संत धीरज्राम पुष्कर रामस्नेही, साखी वीरेंद्र बाई सा आदि मौजूद रहे। इस दौरान संत प्रकाशदासजी ने गुरु भजनों के साथ भजन संंध्या शुरू की जिसमें

जैसलमेर में गिद्ध पक्षी पर जी.पी.एस. ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ

जैसलमेर, (निर्स)। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ रीस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से थार के रेप्टर इकोलॉजी (शिकारी पक्षियों का परिस्थितिकी तंत्र) पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। “रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” नाम से शुरू हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है और हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है।

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के वैज्ञानिक वरुण खेर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों जैसे बाज, मृत पशुओं को खाने वाले गिद्धों (स्कैवेंजर वल्चर-मृत भक्षी गिद्ध) की पारिस्थितिकी को समझना है। इस रिसर्च के तहत पहली बार थार क्षेत्र में रेप्टर प्रजातियों पर जीपीएस ट्रांसमीटर आधारित टेलीमेट्री अध्ययन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर का डेजर्ट

- “रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” नाम से शुरू हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है**
- हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है**

नेशनल पार्क रेप्टर पक्षियों के लिए देश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां इनकी संख्या देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अध्ययन

जिन प्रजातियों की आवाजाही, निवास स्थान, प्रजनन व्यवहार और खतरों को समझने में मदद करेगा। जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मर

उद्यान (डेजर्ट नेशनल पार्क) गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए काफी खास है। यहां भारत में पाए जाने वाले नौ गिद्धों की प्रजाति में आठ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी पर नजर रखते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने राजस्थान वन विभाग की सहताया से इन शिकारी पक्षियों पर अध्ययन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिसका नाम “रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” रखा गया है।

गणेश महोत्सव के लिये इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई

भीलवाड़ा, (निर्स)। धर्म एवं समाज सेवा के लिए समर्पित श्रीगणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान आगामी 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की समरसता 27 अगस्त से शुरू होगी। समिति द्वारा इंदौर के मूर्तिकार ने भगवान गणपति की आकर्षक मल्टी कलर प्रतिमाएं

स्थानीय स्तर पर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। समिति के मीडिया प्रभारी महावीर समदानी के अनुसार गत 30 वर्षों से गणेश महोत्सव मना रही समिति के द्वारा हर वर्ष भगवान गणपति की मूर्ति स्थानीय मांग के अनुसार तैयार की गईं जाती है। इस बार 10 दिवसीय

आयोजन 27 अगस्त गणेश चतुर्थी बुधवार से छह सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन विजयन के साथ संपन्न होगा। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की जिसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय

भावना को बढ़ावा देना था। उन्होंने गणेश उत्सव को एक मंच के रूप में अनावश्यक वृद्धि को गीत गए जाते थे। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता था। गणेश महोत्सव के तहत सभी जातियों, धर्मों और समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाना है। ऐसे उत्सवों से राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवादी

भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के माध्यम से ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का मंच बनता जा रहा है। इस तथ्यैभर को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां लोग अपनी संस्कृति और हेरिटेज को मना सके।

राशिफल मंगलवार 5 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 11:23 तक, ऐन्द्रयन योग प्रातः 7:24 तक, विष्टि करण दिन 1:13 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:23 से धनु राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज रवियोग दिन 11:23 तक है। कुमार योग दिन 11:23 से दिन 1:13 तक है। आज पवित्र एकादशी व्रत, मंगला गौरी पूजन है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:15 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:12 तक, शुभ 3:51 से 5:29 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08

मे़ष	सिंह
	
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है।दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
वृष	कन्या
	
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है।दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।	आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।
मिथुन	तुला
	
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।दिनचर्या में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित ख़ात से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित बातों सफल रहेगी।
कर्क	वृश्चिक
	
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।	व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु	मकर
	
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।	आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।
कुंभ	मीन
	
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में शुभ-मार्गालिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।